प्रेस नोट **19.01.2023**

मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरान्त पोक्सो एक्ट का अभियुक्त 15 वर्ष की कठोर कारावास व अर्थदण्ड से हुवा दंडित–

पुलिस कार्यालय स्थित मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरान्त आज दिनांक 19.01.2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पोक्सो प्रथम जनपद मऊ द्वारा थाना दक्षिणटोला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 451/15 धारा 376,5604,506 भादवि0 व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त लालजीत राजभर पुत्र फूलबदन? निवासी बनौरा सुल्तानपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 19.01.2022 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मानिकपुर असना मोड़ से मु0अ0सं0 588/22 धारा 363,366 भादवि0 में वांछित अंभियुक्त रामअशीष उर्फ आशीष पुत्र लोरी निवासी बनाफा थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 22 व्यक्ति तथा 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 19.01.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा चन्दन राय निवासी जनपद छपरा बिहार, दीपक चौरसिया निवासी लीलारी भरौली थाना कोपांगज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मोहम्मद असलम, मोहम्मद आमिर निवासीगण डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा रामविनय चौहान निवासी कुतुबपुर, घूरफेकन शर्मा, विनोद शर्मा निवासीगण बरहदपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना रामपुर पुलिस द्वारा सदानंद साहनी निवासी मर्यादपुर थाना रामपुर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा सत्यम यादव निवासी खजुआ, शिवासू निवासी जजौली, राजन यादव निवासी सुग्गी चौरी, संदीप यादव निवासी मूरादपुर, पंकज पाण्डेय निवासी हननपुर, विपिन पाण्डेय निवासी बलुआ तराव, मोनू यादव, दीपक यादव, विपिन प्रजापति, कृष्णानन्द प्रजापति, ओम प्रजापति, रामचीज प्रजापति, संतोष सिंह, राजू यादव निवासीगण सिघांसन थाना मधुबन जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण बृजराज यादव पुत्र शिवनाथ यादव निवासी पीपरा कछार, बलवंत मल पुत्र बनवारी मल निवासी कटघरा मोड थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।